समक्ष माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0।

20रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

आवेदक आज पेश ... 17-8-15

1- रमेश कुमार कुशवाहा पिता जमुना प्रसाद कुशवाहा उम्र 34 साल निवासी ग्राम बैकुण्ठपुर वार्ड क्र01 तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

--------- निगरानीकर्ता।

विरुद्ध

1- श्रीमती कलावती धोबी विधवा पत्नी स्व0 त्रिवेणी प्रसाद उम्र 55 वर्ष निवासी बैकुण्ठपुर तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 --- गैर निग0/आवेदिका।

320
17-8-15

R 2905-II/15

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंडल ब बैकुण्ठपुर प्र0क्र0 85ए012/14-15 निर्णय दिनांक 18-06-15 ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959.

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है :-

निगरानी कर्ता/ अना0 बैकुण्ठपुर का मूल निवासी है, उसका मकान भूमि सर्वे नं0 104 के अंश भाग पर स्थित है तथा शेष रकबे में खेती बारी का कार्य होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नही है । निगरानी कर्ता की भूमि सर्वे नं0 104 से लगी हुई भूमि 106 नंबर है, जो गैर निगराकार कीहै। उसमें अपनी भूमि का सीमांकन तहसीलदार सिरमौर के माध्यम से राजस्व निरीक्षक द्वारा प्र0क्र020 ए012/06-07 निर्णय दिनांक 15-06-07 को सम्पन्न किया गया, जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिरमौर द्वारा की गयी । चूंकि उक्त सीमांकन गैर निगराकार द्वारा कराया गया था और चौहददी काश्तकारों को विधिवत सूचना दी गयी थी और सही नक्शे के आधार पर फील्डबुक, पंचनामा तैयार कर विधिवत पत्थर गड़ाए गए थे, जिसमें सभी काश्तकार संतुष्ट होकर अपने हस्ताक्षर अंकित किए थे । जिसकी अपील व निगरानी किसी भी न्यायालय में नही की गयी , गैर निगराकार द्वारा राजस्व निरीक्षक बैकुण्ठपुर से मिलकर उक्त भूमि का पुनः सीमांकन प्र0क्र085ए012 निर्णय दि0 18-06-15 सम्पन्न किया गया , जो अत्यन्त दुर्भाग्य पूर्ण एवं गलत होने से माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने की नौबत खड़ी हुई है ।

रमेश कुशवाहा

क्र0 ----

निग / 2905 / II / 15

(12)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक क्रमांक निग0 / 2905–II / 15 जिला–रीवा

रमेश कुमार कुशवाहा / कलावती धोबी

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री श्रीनिवास पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 85 / ए–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 18.06.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

प्रस्तुत पत्र का नकल ...

पृ0 ----